न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

प्रकरण संख्या– 137/2015 017(राजस्व वाद) दायर दिनांक –25.6.15
निर्णय दिनांक–22-02-2021

अनवान

1–श्री बालकृष्ण पिता सुखलाल शर्मा
2– श्री संजय पिता सुखलाल शर्मा निवासी बरबुदनिया तहसील सागवाडा
(वादी)

बनाम

1– श्री छबिलाल पिता देवराम ब्राम्हण
2– श्री हरिराम पिता कुरा ब्राम्हण निवासी बरबूदनिया
3– भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा
(प्रतिवादी)

वकील वादी – श्री मयंक दोसी
वकील प्रतिवादी– ––
वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188,209 राज0टि0एक्ट

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के संयुक्त स्वामित्व एवं कब्जेदारी की मोजा बरबुदनिया के खाता नम्बर 125/119 की खसरा नम्बर 2230 की रकबा 7 बिस्वा कृषि भूमि है जो उक्त खसरे में वादीगण का 1/3 ,प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के मध्य करीब 10–15 वर्ष पूर्व ही उक्त खेत का बंटवारा हो चुका है एवं उसी अनुसार वे मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है लेकिन अब प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को उनके हिस्से की आराजी पर काश्त करने में रूकावट कर रहा है एंव लडाई झगडा करने पर उतारू होता है जिससे वादीगण उक्त आराजी का खाता प्रतिवादीगण संख्या1 से 2 के साथ शिरकती नही चला सकते हैं ,प्रतिवादी संख्या 1 जमीन हडप लेना चाहता है ।जिससे उक्त आराजीयात का बंटवारा कर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है कि वह वादीगण के हिस्से की भूमि पर वादीगण के कृषि कार्य में किसी प्रकार की रूकावट न करे।

यह कि वादीगण के द्धारा अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा कराने भी प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया तो उसने बंटवाा कराने से इन्कार किया ।

Scanned by CamScanner

वादीगण उक्त खेत का खाता प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के साथ संयुक्त रूप से चलने पर अपने हिस्से की जमीन पर कोई विकास कार्य नही कर सकते है ।

वादीगण द्वारा वाद के अन्त में मौजा बरबूदनिया के खाता नम्बर 125/119 की खसरा संख्या 2230 की रकबा 7बिस्वा भूमि जिसमें वादीगण का 1/3,प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा है उसे हिस्से अनुसार बंटवारा कर वादीगण के उक्त आराजी के 1/3 हिस्से को प्रतिवादीगण संख्या1 व 2 से अलग कर राजस्व रेकार्ड में वादीगण का प्रथक से खाता दर्ज करने एंव प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वादीगण के हिस्से की भूमि पर वादीगण के कृषि कार्य में किसी प्रकार की रूकावट नही करने स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने निवेदन किया है ।

वादीगण द्वारा वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए ।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब एंव प्रतिदावा प्रस्तुत होने पर वादी द्वारा प्रतिदावे का जवाबूल जवाब प्रस्तुत करने पर वाद पत्र ,प्रतिदावा एवं जवाबदावा तथा जवाबूल जवाब के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई –

1–आया मौजा बरबूदनिया के खाता संख्या 125/119 के खसरा संख्या 2230 रकबा 7 बिस्वा भूमि जिसमें वादीगण का 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा उसी हिस्से अनुसार बंटवारा करा वादीगण प्रथक खाता दर्ज कराने एंव प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है ? (वादीगण)

2– आया खसरा संख्या 2230 रकबा 7 बिस्वा के पुरे भाग पर प्रतिवादी नं0 1 मका मुखलपाना कब्जा होने से प्रतिवादी संख्या 1 उक्त खसरा नम्बर का पुरे भाग का एक मात्र खातेदार की घोषणा कराने का अधिकारी है ? (प्रतिवादी)

3– दादरसी ?

उपरोक्तानुसार वाद बिन्दु निर्धारित कर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई । वकील वादी की ओर वादी बालकृष्ण की साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रदर्श करा साक्ष्य वादी समाप्त करने पर साक्ष्य प्रतिवादी प्रारम्भ की गई । प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं बालकृष्ण के बयान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।दौराने साक्ष्य प्रतिवादी वकील प्रतिवादी एंव प्रतिवादी अनुपस्थित होने से प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाकर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई ।

Scanned by CamScanner

विद्धान अभिभाषक वादी द्धारा अपनी बहस में वाद पत्र एवं जवाबूल जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करा अपनी बहस समाप्त की गई ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है –

तनकी संख्या 1–

आया मौजा बरबूदनिया के खाता संख्या 125/119 के खसरा संख्या 2230 रकबा 7 बिस्वा भूमि जिसमें वादीगण का 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा उसी हिस्से अनुसार बंटवारा करा वादीगण प्रथक खाता दर्ज कराने एंव प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है ? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण को है । वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी मोजा बरबूदनिया संवत 2070–73 के खाता संख्या 125/119 में खातेदार के स्थान पर छबिलाल पिता देवराम 1/3 ,बालकृष्ण संजय पिता सुखलाल शर्मा 1/3 हिब हरिराम पिता कुरा 1/3 खातेदार दर्ज होकर खसरा नम्बर 2230 रकबा 7 बिस्वा दर्ज है ।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में वादगस्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का ही कब्जा होना ,वादीगण का 1/3 भाग पर व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 भाग पर कब्जा नही होना बताते हुए वादपत्र की कलम संख्या 3 को अस्विकार करते हुए वादीगण के पिता सुखलाल प्रतिवादी संख्या 2 एंव प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने उक्त खसरानम्बर 2230 रकबा 7 बिस्वा का सौदा प्रतिवादी नं01 के हक में दिनांक 20.8.83 को कर देने से मोके पर सन 83 से अनवरत आज तक बिना किसी रूकावट के कब्जा चला आना बताते हुए विशेष कथन में बेचाननामा एंव कब्हा सुपुर्दगी खेत रजिस्टर्ड नही होने से नियमानुसार रजिस्ट्री कराने हेतु देवराम पिता कुराजी से सम्पर्क करने पर वादीगण के पिता व प्रतिवादी नं02 बाहर होना बताकर देवराम ने अपने 1/3 हिस्से की रजिस्ट्री प्रतिवादीसंख्या 1 के हक में करना बताया है । प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रतिदावा में वादग्रस्त खेत देवराम पिता कुराजी के हिस्से में आना व देवराम ने अपने भाई की सहमति से उक्त खसरा नम्बर प्रतिवादी नं0 1 को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर बेचाननामा प्रतिवादी नं0 1 के हक में निष्पादित करना ,उक्त बेंचान के सम्बन्ध में विधिवत रजिस्ट्री वादीगण के पिता व प्रतिवादी नं0 2 बाहर होने से रेकार्ड अनुसार देवराम ने 1/3 हिस्से की रजिस्ट्री होना बताते हुए उक्त खसरे पर एडवर्स पजेशन होने से

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 पुरे भाग का एक मात्र खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक होना बताया है ।

प्रतिदावे के जवाब में वादी की ओर से जवाबूल जवाब प्रस्तुत कर बताया है कि 160.00 रू0 के स्टाम्प पर कभी कोई लिखावट नही की गई है यदि ऐसी कोई लिखावट प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो वह फर्जी व जाली है अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प्ड लिखावट साक्ष्य में ग्राह्य नही है । विशेष कथन के जवाब में वादी ने बताया है कि दिनांक 20.8.83 को 2500/– में उक्त खेत प्रतिवादी संख्या 1 को कोई विकय नही किया गया है ,सिर्फ देवराम ने जो अपना हिस्सा बेचा उसी की रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हुई ,वादीगण के पिता ने कोई भूमि नही बेची थी इस कारण उनके द्वारा कोई रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या 1 के हक में नही की गई ,प्रतिदावा की कलम संख्या 2 अस्वीकार करते हुए बताया कि उक्त खेत देवराम के हिस्से में नही आया था न ही इसे विकय बाबत उसके भाईयों ने कभी उसे सहमति दी थी ,प्रतिवादी संख्या 1 को कभी विकय नही किया गया है तथा न ही इसका कब्जा उसे सुपुर्द किया गया है ।जितना हिस्सा देवराम से खरीदा उतने पर ही कबिज है लेकिन देवराम के हिस्से की आड में वह वादीगण का हिस्सा भी हडप लेना चाहता है ।अन्त में वादी ने बताया है कि प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिदावा में चाही गई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नही है । वह फर्जी व अन रजिस्टर्ड लिखावट के आधार पर वादीगण के हिस्से की भूमि का अपने आपको खातेदार घोषित कराना चाहता है जिससे उसका प्रतिदावा सव्यय निरस्त किया जावे ।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श –1 जमाबन्दी में वादीगण 1/3 हिस्से के सहखातेदार एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बतौर सहखातेदार 1/3 –1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बेनामा खेत नंग 1 में देवराम,सुखलाल वो हरिराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को रू0 2500/– में खसरा नम्बर 2230 का सम्पूर्ण रकबा बेचान का उल्लेख है ,वकील वादी की आपत्ति अनुसार उक्त दस्तावेज रजिस्टर्ड नही है ।इसके अतिरिक्त प्रतिवादी की ओर से पंजिबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिसमें विकेता देवराम पिता कुरा द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को आराजी के कुल 0.07 बिस्वा में से विकेता का हिस्सा बेचान करना एंव प्रतिदावा में विकेता द्वारा अपने भाई की सहमति से बेचान करना बताया गया है। वकील वादी द्वारा जवाबूल जवाब में दिनांक 20.8.83 के विकय के तथ्य को अस्विकार करते हुए प्रतिवादउी संख्या 1 को उक्त खेत का विकय नही किया जाना तथा प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा झूठे कथन किया जाना बताया है ।

उपरोक्तानुसार दस्तावेजो ,जवाब,प्रतिदावा एंव जवाबूल जवाब तथा साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से के एवं प्रतिवादी

Scanned by CamScanner

संख्या 1 व 2 सहखातेदार बहिस्सा 1/3 –1/3 दर्ज रेकार्ड है। चूँकि वादीगण प्रदर्श –1 में 1/3 हिस्से के सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है अतः अपना 1/3 हिस्से का बंटवारा करा प्रथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है । अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 2–

आया खसरा संख्या 2230 रकबा 7 बिस्वा के पुरे भाग पर प्रतिवादी नं0 1 का मुखालपाना कब्जा होने से प्रतिवादी संख्या 1 उक्त खसरा नम्बर का पुरे भाग का एक मात्र खातेदार की घोषणा कराने का अधिकारी है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी को है । प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के पूरे भाग पर मुखालपाना कब्जा होने का तथ्य को दस्तावेज एंव साक्ष्य से प्रमाणित करने में असमर्थ रहे हैं । प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध जवाब ,प्रतिदावा प्रस्तुत होने के पश्चात न्यायालय में उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश हुए है तथा उक्त एक पक्षीय आदेश के पश्चात प्रतिवादी की ओर से बहू पक्षीय कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है । अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3 – दादरसी ?

वादीगण वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से के सहखातेदार दर्ज रेकार्ड होने से अपने हिस्से का प्रथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है । प्रतिवादी की ओर से दस्तावेज बेचान दिनांक 3 मई 1999 जो कि विक्रेता देवराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान किया है जिसमें विक्रेता देवराम द्वारा अपने भाई की सहमती का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है तथा वकील वादी की इस आपत्ति के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रसतुत की गई है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदारान के मध्य बंटवारे का प्रावधान है । अतः वाद ग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 – 1/3 हिस्सा होने से वादीगण 1/3 हिस्से का बंटवारा करा अपने हिस्से का प्रथक खाता दर्ज कराने का अधिकारी है ।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन अनुसार तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित होने से वाद वादी स्वीकार एवं प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया गया कि मोजा बरबूदनिया के खाता संख्या 125/119 जमाबन्दी संवत 2070–73 के खसरा संख्या 2230 रकबा 0.07 सात बिस्वा का जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से अनुसार समान रूप बंटवारा समान रूप से रास्ता छोडने हुए किया जाकर बंटवारा रिपोर्ट मय नक्षे के साथ तीन प्रति में प्रस्तुत करें ।

Scanned by CamScanner

137

तहसीलदार सागवाडा के पत्र संख्या राजस्व/2020/446 दिनांक 10.7.2020 के द्वारा प्रंस्तुत बंटवारा रिपोर्ट से वकील वादी ने सहमत होना बताया।

तहसीलदार सागवाडा से बंटवारा रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

1–हरिराम पिता कुरा 1/3,छबीलाल पिता देवराम 1/3,संजय बालकृष्ण पिता सुखलाल 1/3 ब्रा.

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
2230/1	0.01	सु.।	0.01

2– हरिराम पिता कुरा

2230/2	0.02	सु.।	0.02

3–छबीलाल पिता देवराम

2230/3	0.02	सु0।	0.02

4– संजय पिता सुखलाल 1/2 बालकृष्ण पिता सुखलाल 1/2

2230/4	0.02	सु.।	0.02

वकील वादी को प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट से कोई एतराज नही है ,अतः वाद वादी स्वीकार एवं अन्तिम डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार सागवाडा बंटवारा रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा कर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करें ।प्रंतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण के हिस्से की भूमि पर वादीगण के कृषि कार्य में किसी भी प्रकार की रूकावट नही करें। बंटवारा रिपोर्ट परिशिष्ठ (अ) डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा ।

निर्णय आज दिनांक 22-02-2021 को सरे ईजलास सुनाया गया। दृखर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे । अन्तिम डिक्री जारी हो।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

डिगरी व मुकद्में इब्तदाई

(आ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत –– उपखण्ड अधिकारी मुकाम – सागवाडा

बईजलास – श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

1–श्री बालकृष्ण पिता सुखलाल शर्मा वगैरा बरबुदनिया बनाम 1– श्री छबीलाल पिता सुखलाल शर्मा वगेरा बरबुदनिया

दावा अन्तर्गत धारा – 53,188,209आर0टी0ए0

मुकद्मा नम्बर – 137/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 मनिजजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी स्वीकार एवं अन्तिम डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार सागवाडा बंटवारा रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा कर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करें। प्रतिवादी संख्या 1के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण के हिस्से की भूमि पर वादीगण के कृषि कार्य में किसी भी प्रकार की रूकावट नही करें। बंटवारा रिपोर्ट परिशिष्ठ (अ)डिकी का अंग रहेगा ।**.....

नीज .....मुबलिग.....बाबत .....

खर्चा इस मुकद्मे के मय सूद व शहर .....फीसदी आज तारीख से तारीख बवसूलयाबी तक ..... का अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 22 मास 09 सन् 2021को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

मुद्धई	रूपया	पै0	मुद्धायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प व्कालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत ईजराय हुक्मनामा मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत ईजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner